

RRN No. 1237  
12-612

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.2(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक

6 JUN 2013

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.5.2013 के द्वारा निम्न अधिकारी को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किया गया आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतदद्वारा निरस्त किया जाता है:—

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	29-ए/2011	श्री रविन्द्र सिंह यादव उप परिवहन आयुक्त (आधु) मुख्यालय परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर	एम-14, गांधीनगर, जयपुर	31.10.2016

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
- 2 निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- 3 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 आयुक्त परिवहन विभाग (मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर।
- 5 कोषाधिकारी कोष कार्यालय शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
- 6 संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
- 7 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर विडिओनिगम लिंग गांधीनगर, जयपुर।
- 8 प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
- 9 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लॉकबोर्ड में चर्चा करावें।
- 10 संबंधित अधिकारी।
- 11 निदेशक, उधान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- 12 शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
- 13 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
- 14 रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव